राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–11/नर्स–2/(   )/10/ 1079   दिनांक 15/7/2010

आदेश

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा निम्नलिखित नर्स–2 का निजि कॉलेज एम0डी0मिशन कॉलेज, कोटा मे सत्र 2010–11 हेतु दो वर्षीय पोस्ट बेसिक बी0एस0सी नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। **इन कर्मियों के आवेदन निम्न शर्तों के अध्याधीन अग्रेषित किये गये थे–**

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश स्वीकृत कराना होगा ।
2. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिक तुरंत विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. कार्मिक प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदोन्नति, वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानो की पूर्ण पालना की जावेगी। –

सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शर्तो के अतिरिक्त इन कर्मियों द्वारा उक्त प्रशिक्षण अध्ययन अवकाश पर किये जाने एवं भविष्य में प्रशिक्षण प्रतिनियुक्ति पर कराये जाने की मांग नहीं करने के सम्बन्ध में प्रार्थना प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को ही इस प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें तथा इस प्रशिक्षण हेतु आरपीसीएससी से चयनित उन्हीं कर्मियों को कार्यमुक्त करें जिन्हें, जिन्हें निदेशालय द्वारा स्थाई किया जा चुका है।

उक्त आदेश राज्य सरकार की आई0डी0 संख्या 455/चिस्वा'–3/10 दिनांक 14.7.10 की अनुपालना में जारी किये जा रहे है।

क्र0सं0	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान
1	महावीर प्रसाद गोस्वामी	सीएचसी असनावर, झालावाड

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–11/नर्स–2/(   )/09/ 1079   दिनांक 15/7/2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग राज0 जयपुर ।

2.रजिस्ट्रार, राजस्थान विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।

3.निदेशक(एमएसयू)/समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।

4.सम्बन्धित अधीक्षक/मुख्य चि0एवंस्वा0अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/खंड मु0चि0अ0 ।

5.सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द/प्रा0स्वा0केन्द्र

6.प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने का श्रम करें।

7.संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।

8.आदेश/निजि पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर